न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं.44 / प्रा.पत्र / 2024
(GCMS No. 2024 / 66)

प्रविष्टि दिनांक
22.04.2024

निर्णय दिनांक
29.07.2025

बसन्त कुमार आ. गेंदीलाल जाति कुम्हार,
निवासी ग्राम उमरथुणा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश कंवर पत्नी भगवान सिंह जाति राजपूत,
   निवासी काले महलों की गली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
2. चान्द कंवर पुत्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत,
   निवासी काले महलों की गली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
3. सूरज कंवर पुत्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत,
   निवासी काले महलों की गली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
4. योगेश्वरी पत्नी लक्ष्मण जाति राजपूत,
   निवासी काले महलों की गली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
5. प्रवेश आ. लक्ष्मण जाति राजपूत,
   निवासी काले महलों की गली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
6. कुलविन्दर आ. लक्ष्मण जाति राजपूत,
   निवासी काले महलों की गली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
7. आवंटन परामर्शदात्री समिति जर्ये
   उपखण्ड अधिकारी बून्दी (जिला बून्दी)
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, बून्दी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री धनराज प्रजापत, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री पदम कासलीवाल, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 4 से 6 की श्री जगदीश गुप्ता, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 7, 8 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र गोविन्द सिंह को पत्रावली सं. 152/89 पर किये गये भूमि आवंटन ख.सं.69/1 रकबा 19 बिस्वा वाकेग्राम उमरथूना आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1989 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 44/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2024/66 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अभिभाषक प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पेश किया जिसका अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा 03.06.2025 को जवाब पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज निर्णय में सहायक सिद्ध हो सकते है, ऐसे में न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं.69/1 रकबा 19 बिस्वा (जिसके नये खसरा संख्या 426/69 रकबा 0.1461 हैक्टेयर) वाकेग्राम उमरथूना, तहसील व जिला बून्दी स्थित है। आवंटन परामर्शदात्री समिति, बून्दी द्वारा दिनांक 23.06.1989 को उक्त भूमि का आवंटन गोविन्द सिंह आ. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी बून्दी के नाम आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन नियमों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा था तथा प्रार्थी ही उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर निरन्तर खेती करता चला आ रहा था। उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व व आवंटन के समय एवं आवंटन के पश्चात से आज तक भी आवंटी गोविन्द सिंह का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पत्रावली पर पेश मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियान दिनांक 26.03.2025 से भी विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं होकर प्रार्थी का कब्जा होने की पुष्टि होती है। उक्त आवंटित भूमि के अडवा ही स्थित आराजी खसरा संख्या 425/69 रकबा 2.3070 हैक्टेयर, ख.सं. 478/362 रकबा 0.7690 हैक्टेयर, ख. सं. 68/407 रकबा 0.0461 हैक्टेयर वाकेग्राम उमरथूना प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जबकि आवंटी गोविन्द सिंह की उक्त आवंटित भूमि के अडवा कब्जे की या खातेदारी की कोई भूमि नहीं है। आवंटी को आवंटन के पश्चात मौके पर आंवटित भूमि का कब्जा नहीं संभलाया गया है और न ही आवंटन का दखलनामा दिया गया, केवल रिकार्ड में ही आवंटी के पक्ष में आवंटन किया गया है। इस प्रकार आवंटी तथा आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके

जिला कलेक्टर; बून्दी

वारिसान अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व भू आवंटन की धारा 4 व 5 में अनऑक्यूपाईड लेण्ड की सूची जारी नहीं होने से तथा आवंटन से पूर्व आवंटन की उदघोषणा जारी नहीं किये जाने से उक्त आवंटन विधिविरूद्ध है। आवंटी द्वारा लेण्ड रेवेन्यू अलोटमेंट ऑफ लेण्ड फॉर एग्रीकल्चर नियम,1970 एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी को उक्त विवादित आवंटन की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 13.03.2024 को हुई, जिसकी ऑनलाईन जमाबंदी की नकल निकलवाई जाने पर जानकारी हुई। इसके बाद आवंटन की नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 19.03.2024 को नकल प्राप्त होने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में RRD 2000 पेज 151, RRD 2001 पेज 465 एवं RRD 2002 पेज 1 प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी गोविन्द सिंह के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा सम्पूर्ण जांच उपरान्त आवंटन का पात्र मानते हुऐ अप्रार्थीगण के पूर्वज गोविन्द सिंह जी को भूमि का आवंटन किया गया था। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, इसलिए वह पीड़ित पक्षकार नहीं होने से उसे यह कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार होने से चलने योग्य नहीं है। आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन को केवल तथ्यों को छिपाकर या धोखे से आवंटन करवाये जाने पर ही निरस्त किये जाने का प्रावधान है किन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन अधिनियम,1970 के तहत आवंटन के 3 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, जिसके अनुसार गैर खातेदारान स्वतः खातेदार बन चुके है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा यह भी आपत्ति प्रकट की गई कि आवंटन को 33 वर्ष हो चुके है। उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अवधि बाधित होने से निरस्तनीय है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि गोविन्द सिंह आ. कल्याण सिंह जाति राजपूत नि0बून्दी को मिसल नं. 152/89 पर दिनांक 23.06.1989 को भूमि ख.सं. 69/1 रकबा 19 बिस्वा वाकेग्राम उमरथूना का आवंटन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में 3 बिन्दु उठाये हैं, 1. प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है, 2. आवंटन से पूर्व अनऑक्यूपाईड लेण्ड की सूची जारी नहीं की गई और न ही आवंटन के संबंध मे उद्घोषणा जारी की गई, 3. आवंटन के बाद आवंटी तथा गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है। यहां प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा होना अंकित किया है, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे यह प्रकट होता हो कि आवंटित भूमि पर उसका आवंटन से पूर्व का कब्जा है। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर वक्त आवंटन कब्जा भी रहा हो तो उसे नियमन हेतु तत्समय आवंटन समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिऐ था, क्योंकि नियमन के अधिकार उक्त आवंटन समिति मे निहित होते हैं। जहां तक अनऑक्यूपाईड लेण्ड की सूची तथा उद्घोषणा जारी नहीं किये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अथवा शपथ पत्र पेश नहीं किया गया, जिससे यह माना जा सके कि आवंटन से पूर्व अनऑक्यूपाईड लेण्ड की सूची एवं उद्घोषणा जारी नहीं की गई हो।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक 23.06.1989 को निरस्त किये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र 33 वर्ष के असाधारण विलम्ब से पेश किया है, जो उचित नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाये गये। ऐसे में उक्त आवंटन बहाल रखा जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 के संदर्भ में तहसीलदार बून्दी को आदेश प्रदान किये जाते है कि आवंटी/ गैर खातेदारान द्वारा आवंटित भूमि बाबत आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है या नहीं? इस संबंध में वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति की जांच की जावें। यदि आवंटी या गैर खातेदारान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही हो, तो नियमानुसार प्रकरण तैयार कर अविलम्ब सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी